दिनांक 09.05.2023
प्रेस विज्ञप्ति 10/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सोनभद्र/थाना बभनी

- **12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉक:08.05.2023 को थाना बभनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डूमरहर से विछयारी जाने वाले मार्ग से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बभनी पर पंजीकृत अभियोग धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बभनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी डुमरहर थाना बभनी जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना शाहगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.05.2023 को थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पथौली क्षेत्र में सुचेता कट के पास से 03 अभियुक्तों 1– अकरम 2– जीशान 3– रामबाबू

उर्फ रामू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26/27.04.2023 की रात्रि थाना शाहगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध मे थाना शाहगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अकरम निवासी प्रकाश नगर थाना एत्मादौला आगरा, हालपता काशीराम कालोनी थाना कोतवाली जनपद हाथरस।

2–जीशान निवासी कटरा थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद, हालपता राधे वाली थाना शाहगंज आगरा।

3–रामबाबू उर्फ रामू निवासी नई बस्ती थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद फतेहगढ़/थाना नवाबगंज</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **17 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **08 अर्द्ध निर्मित बॉडी/नाल**
- **16 खोखा/मिस कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 08.05.2023 को थाना नवाबगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना नवाबगंज क्षेत्र से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे

03 अभियुक्तों 1–ग्यादीन उर्फ टेलर 2–रामवीर 3–सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 17 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 08 अर्द्ध निर्मित बॉडी/नाल, 16 खोखा/मिस कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सुनील के विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, कासगंज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त ग्यादीन उर्फ टेलर के विरूद्ध जनपद फतेहगढ़ के विभिन्न थानो में आर्म्स एक्ट आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–ग्यादीन उर्फ टेलर निवासी मिल्किया पहाड़पुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

2–रामवीर निवासी सिवरई मठ थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

3–सुनील निवासी सिरसा थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–17 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–08 अर्द्ध निर्मित बॉडी/नाल।

3–16 खोखा/मिस कारतूस विभिन्न बोर।

4–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **<u>जनपद गाजीपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 07 करोड़ 17 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद गाजीपुर पुलिस ने अभियुक्त अंगद राय उर्फ झुल्लन राय पुत्र सर्वदेव राय निवासी शेरपुर कला थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 07 करोड़ 17 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना फुगाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या–2 जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना फुगाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी, 376(2)जी व 506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–महेशवीर 2–सिकन्दर को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 15–15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या–14 जनपद सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गब्बर उर्फ गुलाम वारिस को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफः जनपद कानपुर से 25,000/ रूपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त अजीत कुमार कुंवर उर्फ घरभरन गिरफ्तार।</u>

दिनांक 08–05–2023 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना बर्रा जनपद कानपुर कमिश्नरेट में पंजीकृत मु0अ0स0 468/22 धारा–379/411 भा0द0वि0 में वांछित रु0 25,000/– रूपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त अजीत कुमार कुंवर उर्फ़ घरभरन गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

अजीत कुमार कुंवर उर्फ़ घरभरन पुत्र भरत कुमार नि0 डुमरी, थाना शिमरी, बक्सर बिहार।

बरामदगी–

(1) 01 अदद मोबाइल फ़ोन।

(2) 1,000/ रु० नकद।

गिरफ्तारी का स्थान,दिनांक व समय

निकट हाईकोर्ट तिराहा विभूति खण्ड लखनऊ दिनांक–08–05 –2023 समय 17:30 बजे सायं।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जाने की सूचनाएं एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्राप्त हो रही थी, इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश लखनऊ के पर्वेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप सिंह, मु0 आरक्षी नीरज पांडेय, राजकुमार शुक्ला, मु0आरक्षी राम निवास शुक्ला, मु0आरक्षी सुशील सिंह, आरक्षी राजीव कुमार, आरक्षी अमित त्रिपाठी, आरक्षी अमर श्रीवास्तव की टीम द्वारा धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की दिनांक 08–05–2023 को थाना बर्रा कमिश्नरेट कानपुर नगर में पंजीकृत मु0अ0स0 468/22 धारा–379/411 भा0द0वि0 में वांछित रु0 25,000/ रूपए का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त अजीत कुमार कुंवर उर्फ़ घरभरन निकट हाईकोर्ट तिराहा विभूति खण्ड लखनऊ के पास मौजूद है, इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर पहुंच कर वांछित अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसके द्वारा चोरी की चार पहिया वाहन जनपद कानपुर के शातिर वाहन चोर जय प्रकाश तिवारी से खरीदी जाती थी जिसका प्रयोग अवैध शराब तस्करी में गाजीपुर के जोगामुसाहिब निवासी गोल्डन राय के साथ मिलकर बिहार राज्य में करता हूँ। जनपद कानपुर की पुलिस ने मेरे ग्राम डुमरी जनपद बक्सर में दिनांक 30–06–2022 को दबिश दी थी जिसमे चोरी की स्कार्पियो वाहन बरामद हुई थी तथा पुलिस को मेरे गांव वालो द्वारा घेर लिया गया, जिसका फायदा उठाकर मै वह से भाग गया। उसके बाद से मै लगातार छिपकर गोल्डन राय के साथ मिलकर अवैध शराब तस्करी कर रहा था।

<u>अपराधिक इतिहासः–</u>

1. मु0अ0सं0 289/2022 धारा 379/411/413/414/34 भादवि थाना आशियाना जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 306/2022 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना आशियाना जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 313/2022 धारा 379/411 भादवि थाना आशियाना जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 193/2022 धारा 413/414/420/467/468/471/474/475/34 भादवि कमलानगर जनपद आगरा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 468/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना–बर्रा कानपुर नगर में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>एसटीएफः दिनांक 25–01–2023 को जनपद–लखनऊ में मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान फरार वांछित अभियुक्त विजय अग्रवाल उर्फ गोलू गिरफ्तार।</u>

दिनांक 09–05–2023 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को जनपद–लखनऊ में दिनांक 25–01–2023 को मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान फरार वांछित अभियुक्त विजय अग्रवाल उर्फ गोलू को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

विजय अग्रवाल उर्फ गोलू उर्फ कालिया पुत्र हंषराज नि0 एसएसई/200 सेक्टर–सी, बिकासनगर, लखनऊ मूलपता रहीमनगर डुडौली, थाना मडियॉव, लखनऊ।

गिरफ्तारी का स्थान,दिनांक व समय

छठामिल चौराहा, के बगल फायर ब्रिगेड के सामने, थाना वजीरगंज लखनऊ दिनांक 09–05–2023 समय 10.30 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जाने की सूचनाएं एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्राप्त हो रही थी, इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश लखनऊ के पर्वेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक अंजनी कुमार तिवारी के नेतृत्व में मु0आ0 मनोज कुमार, प्रभाकर पाण्डेय, प्रभन्जन पाण्डेय, गौरव सिंह, आरक्षी शेरबहादुर की टीम द्वारा धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की दिनांक 25–01–2023 को मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से फरार अभियुक्त विजय अग्रवाल उर्फ गोलू छठामिल चौराहा, के पास थाना वजीरगंज लखनऊ के सामने मौजूद है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर पहुंच कर वांछित अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह थाना मडियॉव से एनडीपीएस के अभियोग में वर्ष–2020 में जेल गया था। इसी सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान दिनांक 25–01–2023 को पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है तथा वर्ष–2019 में मेरठ के थाना कन्करखेड़ा क्षेत्र में एक महिला की हत्या की साजिश रचने के दौरान अपने साथियों के साथ पुलिस मुठभेड़ के पश्चात एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

विजय अग्रवाल उर्फ गोलू उर्फ का अपराधिक इतिहासः–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	325/2020	18/22 एनडीपीएस एक्ट	मडियांव	लखनऊ
2	746/2014	380/411/413 भादवि	मडियांव	लखनऊ
3	970/2017	457/380 भादवि	मडियांव	लखनऊ
4	997/2017	457/380/411 भादवि	मडियांव	लखनऊ
5	1023/2017	457/380 भादवि	मडियांव	लखनऊ
6	1057/2017	457/380/411 भादवि	मडियांव	लखनऊ
7	1062/2017	3/25 आर्म्स एक्ट	मडियांव	लखनऊ
8	56/04	394 भादवि	मडियांव	लखनऊ
9	107/2004	3/25 आर्म्स एक्ट	मडियांव	लखनऊ
10	177/2007	307 भादवि व 7सीएलए एक्ट	मडियांव	लखनऊ
11	181/2007	3/25 आर्म्स एक्ट	मडियांव	लखनऊ
12	182/2007	2/3 गैंगेस्टर	मडियांव	लखनऊ
13	276/2007	41/411/414 भादवि	मडियांव	लखनऊ
14	39/2004	392/506 भादवि	मडियांव	लखनऊ
15	50/2004	395/396/397/412 भादवि	मडियांव	लखनऊ
16	549/2003	302/201 भादवि	मडियांव	लखनऊ
17	127/2007	454/380 भादवि	विकासनगर	लखनऊ
18	134/2007	457/380 भादवि	विकासनगर	लखनऊ
19	700/2019	115/307/34 भादवि	कंकरखेड़ा	मेरठ
20	701/2019	3/25 आर्म्स एक्ट	कंकरखेड़ा	मेरठ
21	671/2014	380/411 भादवि	मडियांव	लखनऊ
22	29/2023	223/224 भादवि	वजीरगंज	लखनऊ

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 29/2023 धारा 223, 224 भा0द0वि0 थाना वजीरगंज, लखनऊ में दाखिल किया गया अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

———————